राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प.1(5) निपेवि/स्था/80/पार्ट–15/616-R दिनांक 16/10/2025

–:नियुक्ति आदेश:–

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा वर्ष 2024, में आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा–2024, की प्रतियोगी परीक्षा में उतीर्ण NON-TSP अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(2) प्र.सु./अनु.–3/2025–08916 दिनांक 19.09.2025 से इस विभाग को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति देने हेतु आवंटित करने के फलस्वरूप **राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत** निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों को पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग, राजस्थान में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) 14600/–(अक्षरे रूपयें चौदह हजार छः सौ मात्र) प्रतिमाह एवं परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप में पूर्ण करने के उपरांत पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या–5 में अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से नियुक्ति की जाकर इनका पदस्थापन इनके नाम के सामने अंकित निदेशालय/क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन एतदद्वारा किया जाता हैः–

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	वर्ग	मेरिट न.	रोल न.	जन्म तिथि	पदस्थापन कार्यालय का नाम
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.
1.	श्री सिद्धार्थ शर्मा	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा	सामान्य	743	440649	17.06.2002	निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग–जयपुर
2.	श्री राजेन्द्र कुमार यादव	श्री उमराव यादव	सामान्य	857	425441	09.08.1992	निदेशालय पेंशन एव पेंशनर्स कल्याण विभाग –जयपुर
3.	श्री मालाकार संदीप कुमार	श्री शकर लाल	सामान्य	882	400125	27.12.1998	अतिरिक्त निदेशक पेंशन क्षेत्रीय कार्यालय–अजमेर
4.	श्री लक्ष्य सावनानी	श्री गोपाल दास सावनानी	सामान्य	942	436452	27.05.2003	निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग–जयपुर
5.	श्री अभिषेक शर्मा	श्री जगदीश नारायण शर्मा	EWS	1962	431172	07.03.1996	निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग जयपुर
6.	श्री मोहित मुखिजा	श्री अशोक मुखीजा	EWS	2109	445222	02.10.1996	अतिरिक्त निदेशक पेंशन क्षेत्रीय कार्यालय–भरतपुर
7.	सुश्री कौशल्या भाकर	श्री गोपाल राम	सामान्य	2142	400184	05.07.2001	निदेशालय पेंशन एव पेंशनर्स कल्याण विभाग–जयपुर
8.	सुश्री मोनिका कुमावत	श्री अशोक कुमार	सामान्य	2245	403931	24.11.2002	निदेशालय पेंशन एव पेंशनर्स कल्याण विभाग–जयपुर
9.	श्री हर्षवर्धन सिह गुर्जर	श्री रामकरण गुर्जर	MBC	2787	460689	02.12.2002	निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग जयपुर
10.	सुश्री साक्षी बसल	श्री रमन लाल बंसल	EWS	3486	408378	16.07.2000	निदेशालय पेंशन एव पेंशनर्स कल्याण विभाग जयपुर
11.	श्री जितेन्द्र पारीक	श्री बजरंग लाल पारीक	EWS LDCP	7368	402772	21.07.1996	अतिरिक्त निदेशक पेंशन क्षेत्रीय कार्यालय–अजमेर

क्र०प०उ०

निदेशक
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण
राज., जयपुर

1. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ.11/एसटी/एसी/ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प/सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015 पत्रांक 63606–726 दिनांक 20.10.2015 एवं प.11(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सामान्यअवि/2011/68999–69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा–निर्देशों/सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।

2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त, (नियम) विभाग की अधिसूचना सख्या एफ. 12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, 6(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक रूपये 14600/–(Fixed Remuneration) प्रतिमाह के हकदार होगें, इसके अतिरिक्त विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता एवं एडहोक बोनस इत्यादि देय नहीं होगें। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।

3. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.06 एवं वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.2017 के अनुसार 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) अवधि में सेवाये सन्तोषजनक पाये जाने की दशा में पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या–5 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते स्वीकृत किये जावेगें।

4. उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार संभालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार सभालने में यदि वह असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुये निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवे कि वे कब तक कार्यभार संभालेगें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

5. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।

6. परिवीक्षा काल (Probationer-Period) में इन्हे कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

7. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर सन्तोषप्रद नहीं पाया गया तो सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।

8. उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा–2024, में पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा वरियता क्रमानुसार उपलब्ध कराये कार्मिकों के समनुरूप होगी। चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।

9. परिवीक्षा/प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें।

10. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हे राज्य सरकार के निर्देशानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Throgh Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

11. उक्त नियुक्तियॉ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अनुक्रमिक शासित होगी एवं इन पर समय समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होगें।

12. अभ्यर्थियों को परिवीक्षा अवधि में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से आनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा।

कृ0प0उ0

निदेशक
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण
राज., जयपुर

13. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है। अस्थाई सेवाकाल में बिना किसी पूर्व सूचना अथवा नोटिस दिये किसी भी समय राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता हैं।

14. **यह नियुक्ति अभ्यर्थीयों के चरित्र एवं आचरण के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण–पत्र संतोषजनक प्रमाणित नही पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेगें।**

15. **राज्य में अवस्थित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान एवं राज्य के बाहर के बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी शैक्षणिक दस्तावेजों के प्रमाणीकरण हेतु अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत/उल्लेखित शैक्षिणिक दस्तावेजों एवं अन्य आवश्यक प्रमाण–पत्रों की संबंधित बोर्डो/विश्वविद्यालयों/संस्थानों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने/सही संदर्मित होने के कम में उक्त नियुक्ति प्रोविजनल रहेगी। जांच रिपोर्ट में कोई विपरीत तथ्य/मिथ्या सूचना पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त किये जाने के अध्यधीन रहेगी।**

16. अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो/शपथ पत्रों/घोषणा पत्रों में मिथ्या सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थी के सेवाकाल के दौरान कभी भी नियुक्ति निरस्त किये जाने की नियमानुसार विधिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी, तथा राज्य सरकार/विभाग इनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर सकेगी।

17. उक्त नियुक्ति आदेश माननीय न्यायालयों मे विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णयों के अध्यधीन रहेगी।

18. उक्त अभ्यर्थी की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उर्तीण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अकित की गई हैं। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी। अभ्यर्थियों की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।

19. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

(लीलाराम मीणा)
निदेशक

कमांक: प.1(5) निपेवि/स्था/80/पार्ट–15/ दिनाक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर ।
2. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु.3) विभाग, जयपुर को उनके पत्र कमांक प.1(2)प्र.सु./अनु–3/2025–08916 दिनांक 19.09.2025 के संदर्भ में।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(पेंशन) विभाग,जयपुर
4. अतिरिक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर, जोधपुर,एवं भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि यदि उक्त अभ्यार्थी निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण नहीं करता है तो निर्धारित समयावधि पश्चात उसे कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान नहीं की जावें तथा नियुक्ति आदेश में अंकित शर्तो की पूर्ण पालना होने के पश्चात कार्यग्रहण करवाया जाकर कार्यग्रहण की सूचना निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. निजी सचिव, मुख्यालय
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी (लेखा शाखा) 2 प्रतियों में ।
7. संस्थापन अधिकारी, संस्थापन अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सम्बन्धित अभ्यर्थी श्री/सुश्री .... पुत्र/पुत्री श्री .... पता ....

   को आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि आप नियुक्ति आदेश में अंकित शर्तो को पूर्ण करते हुये 15 दिवस की नियत अवधि में आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर लेवें।
9. निजी पत्रावली।
10. रक्षित पत्रावली ।

निदेशक

निदेशक
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण
..., जयपुर